छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्र. 1784 / एफ–1–37 / 31 / एस–2 / 2020. नवा रायपुर, दिनांक 31/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– दुर्ग जिले के विकासखंड–दुर्ग की शिवनाथ नदी पर ग्राम रूदा के समीप रूदा एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :– प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक–56 / बो.प्र. / प्रशा.स्वी. / मगोक / 2020 / 6407, दिनांक 07.07.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड–दुर्ग की शिवनाथ नदी पर ग्राम रूदा के समीप रूदा एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 899.25 लाख (रुपये आठ करोड़ निन्यानवे लाख पच्चीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना निस्तारी, पेयजल, भू–जल संवर्धन एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 50 हेक्टेयर तथा भू–जल स्तर में वृद्धि से लगभग 200 हेक्टेयर कुल 250 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–45–लघु सिंचाई निर्माण कार्य, लेखा शीर्ष–4702, लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (102)–भू–तल जल, 0101–राज्य आयोजना (सामान्य), (5059) एनीकट / स्टॉपडेम निर्माण, #26–निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.–1558 / बजट–2 / वित्त / चार / 2021, दि. 31.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
31/3/2021
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

AARAA 199.doc.docx

Scanned with CamScanner